संं0 भा0स0–133/IV(2)-श0वि0–10–25(एन0यू0आर0एम0)/10

प्रेषक,

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 : देहरादूनः दिनांक– 13 अगस्त जुलाई, 2010

विषयः– जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के उप मिशन आई0एच0एस0डी0पी0 के अन्तर्गत जसपुर नगर निकाय की मलिन बस्तियो में आवासों के निर्माण हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक तथा व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या N-11028/1/2010/IHSDP/JNNURM-Vol. II दिनांक 18–2–2010 के द्वारा केन्द्रीय संस्तुति एवं मानिटरिंग कमेटी (सी0एस0एम0सी0) की 74वीं बैठक दिनांक 27–1–2010 में संलग्न कार्यवृत्त के अनुरूप एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) योजनान्तर्गत जसपुर नगर निकाय की मलिन बस्तियों में 192 आवासों के निर्माण एवं अन्य अवस्थापकीय सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु कुल धनराशि रू0 630.40 लाख की डी0पी0आर0 संस्तुत की गयी है। तत्क्रम में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 59(6)/PFI/2010–178 दिनांक 14–6–2010 द्वारा उक्त योजना हेतु कुल देय केन्द्रांश रू0 406.13 लाख के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में रू0 203.07 लाख केन्द्रांश अवमुक्त किया गया है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रांश के रूप में प्राप्त रू0 203.07 लाख तथा इस धनराशि के सापेक्ष देय राज्यांश रू0 112.13 लाख की धनराशि सहित कुल **रू0 315.20 लाख (रूपये तीन करोड़ पन्द्रह लाख बीस हजार मात्र)** की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. उक्त धनराशि आपके द्वारा आहरित कर बिन्दु–3 में दी गयी व्यवस्था के उपरान्त अवशेष धनराशि को सम्बधित **नगर पालिका परिषद, जसपुर** को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा और कार्यदायी संस्था का नियमानुसार निर्धारण करते हुए कार्यदायी संस्था को धनराशि हस्तान्तरित की जायेगी। इस धनराशि को उक्त कार्य के अतिरिक्त कहीं अन्यत्र प्रयोग में नहीं लाया जायेगा।
2. स्थानीय निकायों द्वारा उपरोक्त अवमुक्त धनराशि को पी0एल0ए0 में रखा जायेगा और यदि निकाय के पास पी0एल0ए0 नहीं है तो तत्काल पी0एल0ए0 खुलवाये जाने की कार्यवाही

करते हुए धनराशि को बैंक में रखा जायेगा तथा पी0एल0ए0 खुलने के बाद धनराशि को पी0एल0ए0 में रखा जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या N-11028/1/2010/IHSDP/JNNURM-Vol. II दिनांक 18–2–2010 के द्वारा केन्द्रीय संस्तुति एवं मानिटरिंग कमेटी (सी0एस0एम0सी0) की 74वीं बैठक दिनांक 21–1–2010 में संलग्न कार्यवृत्त के संलग्नक–IV में sub total (c) की मदों की संस्तुत धनराशि रू0 107.25 लाख के सापेक्ष अनुपातिक धनराशि रूप से अवमुक्त धनराशि रू0 53.63 लाख (रूपये तरेपन लाख तरेसठ हजार मात्र) को नामित नोडल एजेन्सी द्वारा डी0पी0आर0 तैयार करने हेतु, सर्विस टैक्स और सेन्टेज चार्जेज के रूप में नियमानुसार व्यय करने हेतु अपने पास रखा जायेगा। यदि सेन्टेज चार्जेज के रूप में परियोजना में धनराशि व्यय न की जाय/कम व्यय की जाय तो उसे राजकोष में जमा कराया जायेगा।

4. केन्द्रीय संस्तुति एवं मानिटरिंग कमेटी (सी0एस0एम0सी0) की 74वीं बैठक दिनांक 21–1–2010 में लिये गये निर्णयों के अनुसार आवासों का निर्माण किया जायेगा तथा उक्त बैठक के कार्यवृत्त में उल्लिखित बिन्दुओं का अनुपालन नोडल एजेन्सी द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

5. उक्त आवासों का निर्माण भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गयी समय सीमा के अन्दर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6. स्वीकृत की जा रही धनराशि के अनुरूप ही आवासों का निर्माण किया जायेगा तथा दरों में वृद्धि होने के फलस्वरूप बढ़ी हुई दरों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी। अतएव कार्य प्रारम्भ करने में विलम्ब न हों।

7. सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा अपेक्षित सुधार (i) internal earmarking within local body budgets for basic services to the urban poor; (ii) provision of basic services including the implementation of 7-Point Charter in accordance with agreed timelines; (iii) earmarking at least 20-25% of developed land in all housing projects (both public and private agencies) for EWS/LIG के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। उक्त सुधारों को लागू किये जाने में सहायता नोडल एजेन्सी द्वारा प्रदान की जायेगी।

8. उक्त धनराशि शहरी विकास विभाग के अनुदान संख्या–13 सामान्य बजट, अनुदान संख्या–30 अनुसूचित जाति उपयोजना बजट तथा अनुदान संख्या–31 जनजाति उपयोजना बजट से स्वीकृत की जा रही है। अतएव वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण में सामान्य वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लाभार्थियों का विवरण पृथक–पृथक अंकित करते हुए नोडल एजेन्सी के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

9. उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं एवं मदों के लिए किया जायेगा जिन योजनाओं एवं मदों के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। किसी भी दशा में धनराशि का व्ययावर्तन किसी अन्य योजना/मद में नही किया जायेगा।

10. भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत उक्त योजना के कार्यो हेतु यह अवश्य सुनिश्चित किया जाय कि उक्त कार्य हेतु राज्य सरकार के बजट से धनराशि न दी गयी हो, यदि दी गयी हो तो उस धनराशि को इस अनुमोदित लागत के सापेक्ष व्यय दिखाकर विभागीय बजट से स्वीकृत बजट को शासन को समर्पित कर दिया जाय।

11. निर्माण इकाई से कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व शासनादेश संख्या 475/XXXVII(7)/2008 दिनांक 15–12–2008 की व्यवस्थानुसार मानक अनुबन्ध निष्पादित करा लिया जायेगा।

12. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश के क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा 3 वर्ष तक अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।

13. जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत आई0एच0एस0डी0पी0 की भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन कार्यदायी संस्था/स्थानीय निकाय/नोडल एजेन्सी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

14. स्वीकृत धनराशि के व्यय अथवा निर्माण करने से पूर्व सभी योजनाओ/कार्यों पर संबंधित मानचित्र एवं विस्तृत आगणन गठित कर तकनीकी दृष्टिकोण से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए एवं विशिष्टियों का अनुपालन करते हुए प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

15. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करानी होगी। जिसमें कि भौतिक प्रगति का स्पष्ट उल्लेख होगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी और उसके अभियंता पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे।

16. स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्यियता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये, एकमुश्त प्राविधान के विस्तृत आगणन गठित कर लिये जाये, और इन पर यदि किसी तकनीकी अधिकारी के कार्य कराने से पूर्व का अनुमोदन प्राप्त करना नियमानुसार आवश्यक हो तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।

17. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

18. कार्य पूर्ण होने पर इसे वित्तीय वर्ष में उक्त कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण राज्य सरकार को तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र भी राज्य सरकार एवं भारत सरकार को प्रेषित करा दिया जायेगा। योजना के लिए स्वीकृत धनराशि का मासिक व्यय विवरण भी शासन को प्रेषित किया जायेगा।

19. कार्य को भारत सरकार के द्वारा दी गई प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति की सीमा के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा। इस लागत में कोई वृद्धि वित्त पोषण के पैर्टन से इतर राज्य रकार के द्वारा अनुमन्य नहीं होगी।

20. कार्य का परीक्षण/निरीक्षण तृतीय पक्ष द्वारा किया जायेगा। जिसके लिए नोडल एजेन्सी द्वारा नामित एजेन्सी को सभी सम्बन्धित अभिलेख और सहायता नोडल एजेन्सी/स्थानीय निकाय/कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

21. उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष–2010–11 के आय–व्ययक के **अनुदान सं0–13**, लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–191–स्थानीय निकायो, निगमो, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डो को सहायता–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–02–आवास एवं मलिन बस्ती सुधार योजना–20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता के **नामे रू0 249.00 लाख**, **अनुदान सं0–30**, लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–191–

स्थानीय निकायो, निगमो, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डो को सहायता–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–02–आवास एवं मलिन बस्ती सुधार योजना–20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता के नामे **रू0 56.74 लाख** तथा **अनुदान सं0–31**, लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–191– स्थानीय निकायो, निगमो, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डो को सहायता–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–02–समेकित आवास एवं मलिन बस्ती सुधार योजना–20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता के नामे **रू0 9.46 लाख** डाला जायेगा।

22. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0– 262/XXVII(2)/2010, दिनांक– 07 जुलाई, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव।

सं0 भा0स0– 133 (1)/IV(2)-श0वि0–2010,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 नगर विकास मंत्री जी (मा0 मुख्यमंत्री जी)।
4. आयुक्त, कूमायू मण्डल, नैनीताल।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।
7. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
9. अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, जसपुर।
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
अनु सचिव।